12

कार्यालय जिला पंचायत, पीलीभीत

पत्रांकः 31 स0अनु0 / भवन मानचित्र / एन0ओ0सी0 / 2018–19 दिनांकः 5.4.2018

श्री अमित मिश्रा, अध्यक्ष
श्री पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट, संजयनगर तिराहा
अशोक बिहार, तुलापुर, पीलीभीत वाई पास रोड
बरेली।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी आफ पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट का भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत भूमि स्वामित्व की खतौनी, क्रय विलेख पत्र, आकृषि भूमि आदेश पत्र(143) व ब्लू प्रिंट (मानचित्र) के आधार पर जिला पंचायत पीलीभीत में प्रभावी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अवर अभियन्ता / अभियन्ता जिला पंचायत पीलीभीत की प्रस्तुत आख्या के आधार पर ग्राम कजरी निरंजनपर परगना व तहसील, पूरनपुर पीलीभीत के गाटा संख्या 163 मि0 रकबा 10110 वर्गमीअर पर कॉलेज ऑफ फार्मेसी आफ पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट का भवन निर्माण कराये जाने हेतु निम्न प्रतिबन्धों के साथ मानचित्र स्वीकृत कर भवन निर्माण की अनुज्ञा निर्गत की जाती है।

1. प्रस्तावित कॉलेज ऑफ फार्मेसी आफ पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही प्रस्तावित भवन का निर्माण कराया जायेगा तथा स्वीकृत मानचित्र की सीमा / परिधि के बाहर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा।
2. जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र की वैधता एवं अनुमन्यता स्वीकृति की दिनांक से तीन वर्श तक के लिये प्रभावी होगी।
3. यदि मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त संज्ञान में आने पर आवेदनकर्ता द्वारा फर्जी अभिलेख व गलत विवरण देकर छदम्य पूर्वक नक्शा / मानचित्र स्वीकृत करा लिया गया तो जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत मानचित्र व अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा निर्मित भवन को ध्वस्त अथवा सील करवा दिया जायेगा।
4. भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक इमारत, स्थल से 200 मी0 के अन्दर भवन निर्माण की स्वीकृति मान्य नहीं है तथा 200 मी0 से 1.5 किमी0 के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं अनुमति तत्समय आवश्यक एवं उचित कारणों से ही की जायेगी।
5. हवाई अड्डा, विमानपत्तन, प्राधिकरण, रक्षा विभाग व अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो, 5 किमी0 की परिधि मे 30 मीटर से ऊँचे भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त करने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत मानचित्र की पूर्ण अनुमति मानी जायेगी।
6. स्वीकृति मानचित्र के अनुरूप ही भवन का निर्माण कराया जायेगा जिसमें जल आपूर्ति, मल मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण की व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी।
7. प्रस्तावित निर्माणाधीन भवन की चाहरदीवारी से राष्ट्रीय / राजकीय राजमार्ग के मध्य से 110 फिट की दूरी रखनी अनिवार्य होगी।
8. प्रस्तावित निमार्णाधीन भवन की चाहरदीवारी से स्थानीय / सम्पर्क मार्ग व गलियों के मध्य से 10 मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी।
9. कॉलेज ऑफ फार्मेसी आफ पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के भवन की कुर्सी सड़क व गली से 1 फिट ऊँची रखनी अनिवार्य होगी।

....क्रमशः 2 पर

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Amit Mishra
Chairman

Scanned with CamScanner

10. निर्माणाधीन भवन के अन्दर आव यकता अनुसार वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तावित कॉलेज ऑफ फार्मेसी आफ पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट भवन स्ट्रक्चरल कंसलटेन्ट द्वारा दी गई ड्रांइग जो कि भूकम्प रोधी हो पर ही निर्माण कराना आवश्यक होगा तथा भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविधि एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत् डिजाइनर की होगी।
12. राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के प्राविधान के अनुसार 1 से अधिक ब्लाक में न्यूनतम् 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी।
13. बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम् ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।
14. ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
15. खिडकी व रो नदान का क्षेत्रफल फ र्श के क्षेत्रफल का 10 प्रति त से कम न होगा।
16. तीन मंजिल तक के भवन के सीढ़ी की चौड़ाई 1 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
17. वेसमेन्ट मे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।
18. तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा–संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनमे, मल्टीप्लेक्स 400 वर्गमीटर से अधिक भू–आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होगें। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ–साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग रखना अनिवार्य होगा।
19. अग्नि निकास जीना की न्यूनतम् चौड़ाई 1.2 मी0, ट्रेड की न्यूनतम् चौडाई 28 से0मी0, राइजर अधिकतम् 19 से0मी0, एक फ्लाइट में अधिकतम् राइजरों की संख्या 16 से अधिक नहीं होगी।
20. निर्माणकर्ता/भवन स्वामी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर उनके विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा–133 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
21. प्रस्तावित कॉलेज ऑफ फार्मेसी आफ पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के मंजिलों तक का स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही मंजिलों तक भवन का निर्माण कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त निर्माण की अनुज्ञा व मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
22. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर यह अनुज्ञा पत्र व स्वीकृत मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

जिला [illegible]
पीलीभीत

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust
Amit Mishra
Chairman

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, पीलीभीत

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला पंचायत पीलीभीत

पंत्राक–434 स0अनु09 / भवन मानचित्र / एन0ओ0सी0 / 2018–19 दिनांक– 5-11-2018

श्री अमित मिश्रा, अध्यक्ष

पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट,

संजय नगर तिराहा, अशोक विहार,

तुलापुर, पीलीभीत बाईपास रोड,

बरेली।

इस कार्यालय के पत्र. सं0 31 स0अनु0 / भवन मानचित्र / एन0ओ0सी0 / 2018–19 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा आपको गाटा सं0 163मि0 स्थित ग्राम कजरी निरन्जनपुर, पर0 व तह0 पूरनपुर में पं0 राजेन्द्र प्रसाद स्मारक कालेज ऑफ फार्मेसी के भवन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2018 पर सम्यक विचारोपरान्त जोत चकबन्दी प्रक्रिया उपरान्त गाटा सं0 में हुए यथा परिवर्तन स्वरूप नई गाटा सं0 503ख ग्राम कचरी निंरजनपुर पर0 व तह0 पूरनपुर हेतु प्रस्तुत भवन मानचित्र की नई प्रति पूर्व नियम एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है। शेष नियम व शर्तें पूर्व स्वीकृति दिनांक 05.04.2018 के अधीन होगी।

संलग्नक–

स्वीकृत भवन मानचित्र प्रति एक।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
पीलीभीत

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत अधिकारी

पीलीभील

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Amit Mishra

Chairman

Scanned with CamScanner

Annexure-12

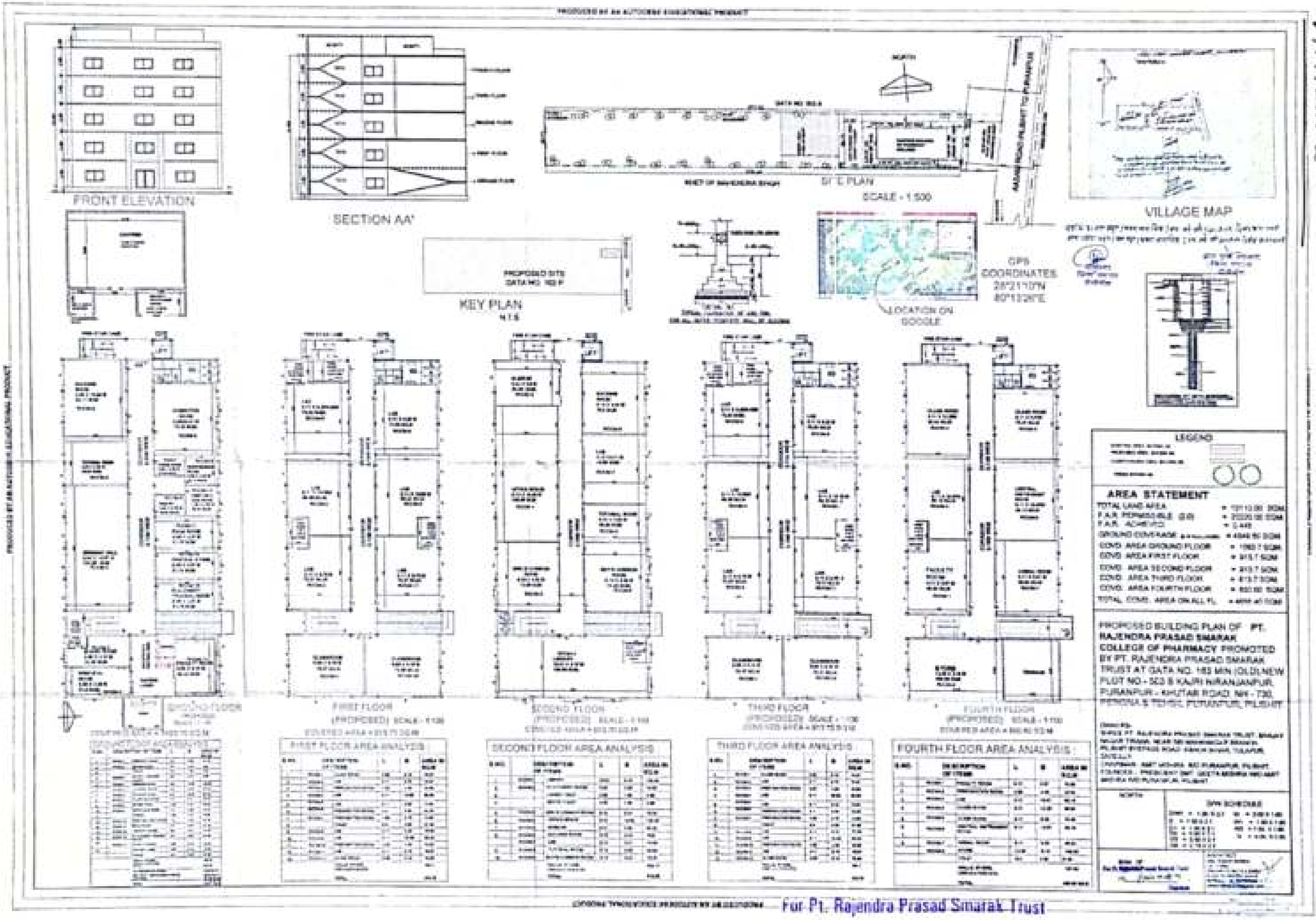

For Pt. Rajendra Prasad Smarak Trust

Amit mishra

Chairman

Scanned with CamScanner